फर्द अहकाम

निर्मल पंवार बनाम रामगोपाल व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

17/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। P.O. साहब अन्य राजकार्य (चुनाव सम्बन्धी मीटिंग) में व्यस्त है अतः पत्रावली साविकानुसार दिनांक 04/03/24 को पेश हो।	
04/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अंतिम बहस समयावधि पूर्ण होने से पुन: सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 11/03/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
11/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अंतिम के तथ्यों पर कथन किया व पत्रावली का सारपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा स्वयं की प्रचलित खातेदारी की भूमि की स्थायी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा अपनी मान्य साक्ष्य से खण्डन भी नहीं किया जा सका है अतः वाद वादीगण स्वीकार [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] कि वे ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

निर्मलपवार बनाम रामगोपाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 17/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/3/24	आ.ख.नं. 624 रकबा 0.7900 है. [खाता सं. 60] तथा राजस्व खाता सं. 61 की भूमि आ.ख.नं. 625, 710, 712, 712/1184, 713, 713/1203, 714, 714/1 715 लगायत 719, 916, 917, 918, 920/12 921/1282 कुल खसरा किता 18 कुल रकबा 3.0500 है. व राजस्व खाता सं. 69 की भूमि आ.ख.नं. 704 लगायत 709, 711, 741, 742, 753 ता 770 कुल खसरा किता 27 कुल रकबा 3.6100 है. जो कि वादीगण की प्रचलित खातेदारी की भूमि है, में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट, हस्तक्षेप, दखलन्दाजी व वादीगण को भूमि के उपयोग-उपभोग में कोई बाधा कारित ना करें। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 17/2016
निर्णय दिनांक : 11.03.2024

1. निर्मल पंवार पुत्र श्याम लाल पंवार
   निवासी–प्लॉट नं 135 राम नगर विस्तार, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
2. मैसर्स प्राईम लोकेशन डवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर
   निर्मल पंवार पुत्र श्याम लाल पंवार निवासी प्लॉट नं. 135. राम नगर विस्तार, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर

वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र मंगला
2. रामधन पुत्र मंगला
3. जगदीश पुत्र गौरया
4. मन्नाराम पुत्र मंगलाराम
5. भौरया पुत्र मांगूराम
6. बोदू पुत्र मांगूराम
7. शंकर पुत्र रामसहाय
8. नन्छू पुत्र गुल्लाराम
9. रामचन्द्र पुत्र घीसाराम
10. कृष्णा पुत्र नारायण
11. अर्जुन पुत्र नारायण
12. गोपाल पुत्र नारायण
13. सरदारमल पुत्र छीतरा
14. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामगोपाल
15. रामू पुत्र छीतर
16. कैलाश पुत्र छीतर
    समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण डोईयों की ढाणी ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. पांचूराम पुत्र भींवाराम,
18. खांगाराम पुत्र भींवाराम
19. मंगला पुत्र छोट्या,
20. छीतर पुत्र छोट्या,
21. कान्हा पुत्र छोट्या,
    समस्त जाति गुर्जर, निवासी सुखलों की ढ़ाणी, ग्राम कालवाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त. अधि. 1955

निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की संयुक्त एकल खातेदारिता की राजस्व खाता संख्या 60 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 0.7900 है., राजस्व खाता संख्या 61 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 625, 710, 712, 712/1184, 713, 713/1203, 714, 714/1, 715 लगायत 719, 916, 917, 918, 920/1281, 921/1282, कुल खसरा किता 18 कुल रकबा 3.0500 है. तथा राजस्व खाता संख्या 69 की भूमि आ.ख.नं. 704 लगायत 709, 711, 741, 742, 753 लगायत 770 कुल खसरा किता 27 कुल रकबा 3.6100 है के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उपरोक्त [illegible] खसरा नम्बरों की भूमि में खाता संख्या 61 की सम्पूर्ण भूमि कुल खसरा किता 18 कुल रकबा [illegible]05 है [illegible] संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, तथा खाता संख्या 60 की सम्पूर्ण भूमि [illegible] किता 1 कुल रकबा 0.7900 है. व खाता संख्या 69 की सम्पूर्ण भूमि कुल खसरा किता 27 कुल रकबा 3.6100 है [illegible] संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारिता की भूमि है। जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर उपयोग, उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त वर्णित भूमि के समीप रहते है, जो कि वादीगण को आये दिन हैरान परेशान करते है व वादीगण की खातेदारिता की उक्त भूमि में काश्त फसल को मवेशियों से नष्ट करवा देते है तथा उक्त संदर्भ में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मना करने पर प्रतिवादीगण झगडे पर आमदा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

हो जाते है। विवाद के निस्तारण बाबत दिनांक 27.04.2016 को अपनी भूमि की, फसल की सुरक्षार्थ बाउण्ड्री वाल करवाये जाने के लिए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तो प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर आकर झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये। तथा वादीगण को बाउण्ड्री वाल का निर्माण नहीं होने बाबत धमकी भी दी गई। जिस पर वादीगण द्वारा दिनांक 28.04.2016 को तहसीलदार आमेर के समक्ष अपनी भूमि का सीमांकन (सीमाज्ञान) व पत्थरगढी करवाने बाबत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार आमेर के आदेश/निर्देश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.05.2016 को मौके व रिकॉर्ड का मिलान कर पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में पत्थरगढी की गई। जिसके अनुसार की वादीगण अपने कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में काबिज चले आ रहे है। तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादीगण वादीगण को आये दिन जबरन हैरान परेशान करते है। जबकि प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है कि वे वादीगण की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादीगण के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न करें। जिससे वादीगण को अधिकार है कि वे अपनी खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकें। उक्तानुसार वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकार है कि वाके ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि के वादीगण के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें ना ही फसलों को नष्ट करें व वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि के विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी अनुसार निर्मित करवाई गई बाउण्ड्रीवाल को नहीं तोडे, ना ही शेष रही बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में वादीगण को कोई बाधा कारित (उत्पन्न) करें। अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादीगण की खातेदारिता की भूमि आराजी खसरा नम्बर 704 लगायत 709, 711, 741, 742, 753 से 770, 624, 625, 710, 712, 712/1184, 713, 713/1203, 714, 714/1, 715 लगायत 719, 916, 917, 918, 920/1281, 921/1282 के वादीगण के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करें, ना ही फसलों को नष्ट करें तथा ना ही वादीगण द्वारा अपनी उपरोक्त वर्णित विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी शुदा भूमि पर फसलों की सुरक्षार्थ निर्मित कराई गई बाउण्ड्रीवाल को तोडे एवं ना ही शेष रही बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में वादीगण को कोई बाधा उत्पन्न करें।

वादीगण की ओर से वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये-

प्रदर्श 1 : भूमि वादग्रस्त के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2068-2071 की सत्य प्रतिलिपि जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि **खाता संख्या 60** की भूमि खसरा नं. 624 रकबा 0.7900 है. वादीगण की संयुक्त एकल खातेदारिता की भूमि तथा **खाता संख्या 61** की भूमि खसरा नं. 625, 710, 712, 712/1184, 713, 713/1203, 714, 714/1, 715 लगायत 719, 916, 917, 918, 920/1281, 921/1282, कुल खसरा किता 18 कुल रकबा 3.0500 है. वादी संख्या 1 की एकल खातेदारिता की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं होना प्रदर्शित होता है।

प्रदर्श 2 : भूमि वादग्रस्त के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2068-2071 की सत्य प्रतिलिपि जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि **खाता संख्या 69** की भूमि खसरा नं 704 लगायत 709, 711, 741, 742, 753 लगायत 770 कुल खसरा किता 27 कुल रकबा 3.6100 है. वादीगण की संयुक्त एकल खातेदारिता की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं होना प्रदर्शित होता है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने बाबत नोटिस जारी किये गये, जिसके कम में प्रतिवादीगण सं 1 ता. 6, 8, 9 व 14 की ओर से दिनांक 14.12.2016 को जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दि[illegible] को प्रतिवादीगण संख्या 19, 20, 21 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दिनांक 30.01[illegible] जवाब वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण का अवसर ज[illegible] बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल/सूचना के उपस्थित न[illegible] पर दिनांक 21.08.2018 को प्रतिवादीगण सं 7, 10 लगायत 13, 15 लगायत 18 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रतिवादीगण सं 1 ता. 6, 8, 9 व 14 की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि वादीगण वाद पत्र में वर्णित आराजीयात पर काबिज नहीं है, ना ही वादीगण द्वारा कोई काश्त की जा रही है। अपितु उक्त आराजीयात पर आराजी के वास्तविक काश्तकारों का कब्जा काश्त है तथा वादीगण द्वारा गैरकानूनी तरीके से मिनप्रतिवादीगण (सं 1 ता. 6, 8, 9 व 14) के मकानात की भूमि पर अतिकमण

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

करना चाहा गया है। इसी उदेश्य से प्रतिवादीगण के मकानात व भूतल के रास्ते को अवरूद्ध करने हेतु अविधिक रूप से बाउण्ड्रीवाल बनाना चाहते है जिसका कि वादीगण को कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। वादीगण बाउण्ड्रीवाल की आड में उक्त रास्ते की भूमि को अवरूद्ध करना चाहते है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वाद पत्र में यह भी वर्णित किया गया है कि वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 11.05.2016 को पत्थरगढी के आदेश प्राप्त कर लिये गये। तथा उक्त आदेश के अनुसरण में संबंधित पटवारी हल्का द्वारा मौजूदा काश्तकारों को ना तो मौके पर बुलाया गया ना ही ऐसी कोई स्वतंत्र रूप से सीमांकन रिपोर्ट बनाई गई जो विधि अनुसार मान्य हो। वादीगण द्वारा उल्लेखित उक्त सीमाज्ञान/पत्थरगढी रिपोर्ट वादीगण को लाभ पंहुचाने के उदेश्य से बनाई गई है तथा वादीगण उक्त सीमाज्ञान/पत्थरगढी रिपोर्ट की आड में मिन प्रतिवादीगण के मकानात से निकलने वाले एकमात्र रास्ते को अवरूद्ध करना चाहते है तथा भूमि पर कब्जा करना चाहते है एवं वादीगण अविधिक रूप से प्रतिवादीगण की भूमि की सीमा में आकर उनकी भूमि को अवरूद्ध करना चाहते है तथा इसी उदेश्य से बाउण्ड्रीवाल निर्माण करना चाहते है। जिसके वादीगण किसी प्रकार से अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वे ग्राम कालवाड तह–आमेर जिला जयपुर स्थित तहसीलदार आमेर द्वारा सर्वेक्षण एवं सीमांकन की गई भूमि/वाद अधीन भूमि कुल खसरा किता 46 कुल रकबा 07.45 है, जिसका आलेख वाद पत्र के मद संख्या 1 में किया गया है कि वादीगण की भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें ना ही सीमांकन के आधार पर बनाई गई बाउन्ड्रीवाल को तोडे।

–वादीगण,

2. आया गलत तथ्यों के आधार पर बनाई गई एवं अवैध पत्थरगढी व सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर वादीगण मिन प्रतिवादीगण के मकानात से निकलने वाले एकमात्र रास्ते को अवरूद करना चाहते है।

– प्रतिवादीगण

3. अनुतोष

कायम तनकीयात के क्रम में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गवाह रविन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जादौन का पेश कर मुख्य परीक्षण करवाया गया। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण के मय अधिवक्ता निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही आदेश 05.03.2020 को पारित किये गये। तथा उक्त क्रम में पत्रावली बहस अन्तिम हेतु नियत की जाकर वादी पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई।

हमने वादी पक्ष की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध/प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत अभिकथनों व प्रस्तुत दस्तावेजात के समग्र विवेचन उपरान्त प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है–

तनकी संख्या 1 : इस तनकी को सिद्व करने की भारिता वादीगण पर थी। जिस हेतु वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी संवत 2068–2071 के अनुसार वादग्रस्त भूमि **खाता संख्या 60** की भूमि खसरा नं. 624 रकबा 0.7900 है., तथा **खाता संख्या 69** की भूमि खसरा नं 704 लगायत 709, 711, 741, 742, 753 लगायत 770 कुल खसरा किता 27 कुल रकबा 3.6100 है. **वादीगण की संयुक्त एकल खातेदारिता की** भूमि तथा **खाता संख्या 61** की भूमि खसरा नं. 625, 710, 712, 712/1184, 713, 713/1203, 714, 714/1, 715 लगायत 719, 916, 917, 918, 920/1281, 921/1282, कुल खसरा किता ... कुल रकबा 3.0500 है., **वादी संख्या 1 की एकल खातेदारिता** की भूमि ... जिसमें प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं होना प्रदर्शित होता है। उक्त भूमि के संबंध में वादीगण का यह कथन रहा है कि उक्त वर्णित भूमि वादीगण की तहसीलदार आमेर के आदेश के कम में विधिवत सीमाज्ञान/पत्थरगढी शुदा भूमि है। जिसके बाबत सीमाज्ञान आवेदन व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.05.2016 की प्रति भी पेश की गई है। जो वादीगण के कथनों की पुष्टि करती है। यद्यपि उक्त प्रस्तुत दस्तावेज आदेश तहसीलदार दिनांक 28.04.2016, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.05.2016 व सीमाज्ञान आवेदन पत्र प्रमाणित प्रति के रूप में नहीं है परन्तु उक्त तथ्यों का प्रतिवादीगण द्वारा कोई सक्षम खण्डन नहीं किया जा सका है जिससे राजकीय दस्तावेजात के रूप में दिनांकित दस्तावेजात की अनदेखी नहीं की जा सकती है ना ही उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

दस्तावेजात की वैधता पर कोई संदेह प्रदर्शित होता है। अतः चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उल्लेखित भूमि वादीगण की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि होना प्रदर्शित होता है। अतः उक्त क्रम में वादीगण को अपनी खातेदारिता की भूमि की सुरक्षा के हक से वंचित नहीं जा सकता है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 : इस तनकी को सिद्व करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिस हेतु प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण की संयुक्त एकल खातेदारिता की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं होना प्रदर्शित होता है। प्रतिवादीगण का कथन कि "गलत तथ्यों के आधार पर बनाई गई एवं अवैध पत्थरगढी व सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर वादीगण मिन प्रतिवादीगण के मकानात से निकलने वाले एकमात्र रास्ते को अवरूद करना चाहते है " के संदर्भ में भी प्रतिवादीगण की ओर से गलत सीमाज्ञान व पत्थरगढी के संदर्भ में भी कोई उज्र आपत्ति/अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रतिवादीगण द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढी के संदर्भ में सक्षम स्तर पर चुनौती दी गई है। यदि प्रतिवादीगण को उक्त सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी से किसी प्रकार की उज्र आपत्ति थी, तो प्रतिवादीगण को उक्त संदर्भ में सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

आदेश

उभयपक्षकारान के अभिकथनों, साक्ष्य दस्तावेज के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त **खाता संख्या 60** की भूमि खसरा नं. 624 रकबा 0.7900 है., **खाता संख्या 61** की भूमि खसरा नं. 625, 710, 712, 712/1184, 713, 713/1203, 714, 714/1, 715 लगायत 719, 916, 917, 918, 920/1281, 921/1282, कुल खसरा किता 18 कुल रकबा 3.0500 है., **खाता संख्या 69** की भूमि खसरा नं 704 लगायत 709, 711, 741, 742, 753 लगायत 770 कुल खसरा किता 27 कुल रकबा 3.6100 है. वाके ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर वादीगण की अभिलिखित खातेदारिता की भूमि है जिसके बाबत वादीगण की ओर से स्वयं की प्रचलित अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की रक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा मात्र के परिप्रेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी मान्य साक्ष्य से खण्डन भी नहीं किया जा सका है। अतः वाद वादीगण स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.न. **खाता संख्या 60** की भूमि खसरा नं. 624 रकबा 0.7900 है., **खाता संख्या 61** की भूमि खसरा नं. 625, 710, 712, 712/1184, 713, 713/1203, 714, 714/1, 715 लगायत 719, 916, 917, 918, 920/1281, 921/1282, कुल खसरा किता 18 कुल रकबा 3.0500 है., **खाता संख्या 69** की भूमि खसरा नं 704 लगायत 709, 711, 741, 742, 753 लगायत 770 कुल खसरा किता 27 कुल रकबा 3.6100 है. जो कि वादीगण की प्रचलित खातेदारिता/सहखातेदारिता की भूमि है, में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप, दखलअंदाजी व वादीगण को भूमि के उपयोग, उपभोग में कोई बाधा कारित ना करें।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा राठौड)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:42 IST
Reason: SelfAttested